## <u>न्यायालय-सिराज अली, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर</u> <u>जिला-बालाघाट, (म.प्र.)</u>

<u>आप.प्रकरण.क.—1048 / 2012</u> <u>संस्थित दिनांक—17.12.2012</u> फाईलिंग क.234503001372012

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र–बैहर,
जिला–बालाघाट (म.प्र.) — — — — — <u>अ<b>भियोजन</b></u>
// <u>विक्तद</u> //
राजू पंचतिलक पिता आत्माराम पंचतिलक, उम्र—29 वर्ष, जाति मरार,
निवासी–ग्राम पौनी, थाना मलाजखण्ड,
जिला–बालाघाट, (म.प्र.) — — — — — — — <u>आरोपी</u>

## // <u>निर्णय</u> // (<u>आज दिनांक–16/10/2015 को घोषित)</u>

- 1— आरोपी के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा—279, 337 के तहत आरोप है कि उसने दिनांक—04.11.2012 को 03:45 बजे आरक्षी केन्द्र बैहर अंतर्गत तन्नौर नदी के पास लोकमार्ग पर वाहन कमांक—सी.जी—04/जे.सी—6537 को उतावलेपन या उपेक्षा से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न कारित कर, उक्त वाहन को उतावलेपन या उपेक्षा से चलाकर आहतगण पुरूषोत्तम, सोमवती, जदूलाल एवं दिनेश कुमार को साधारण उपहित कारित की।
- 2— संक्षेप में अभियोजन पक्ष का सार इस प्रकार है कि थाना बैहर में पदस्थ प्रधान आरक्षक कपूरचंद बिसेन को दिनांक—04.11.2012 को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बैहर की अस्पताल तहरीर प्राप्त होने पर उक्त तहरीर की जांच उपरान्त उसके द्वारा जेदूलाल, दिनेश कुमार पुरूषोत्तम व सोमवतीबाई के कथन लेख किये गए, जिसमें उन्होने बताया कि दिनांक—04.11.2012 को पटेल बस कमांक—एम.पी—50 पी—0256 में बैठकर वे बैहर आ रहे थे, तभी पीछे से ट्रक कमांक—सी.जी—04/जे.सी—6537 का चालक तेज गति व लापरवाही पूर्वक चलाते हुए लाया और पीछे से तन्नौर नदी के पास

ठोस मारा, जिससे वाहन में बैठे व्यक्तियों को चोट आई थी। गवाहों के बयान अनुसार आरोपी वाहन चालक के विरूद्ध अपराध क्रमांक—159/2012, धारा—279, 337 भा.द.वि. के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध किया गया। पुलिस द्वारा आहतगण का चिकित्सीय परीक्षण कराया गया। पुलिस के द्वारा विवेचना के दौरान घटना स्थल का मौका नक्शा तैयार किया गया, साक्षियों के कथन लेखबद्ध किये गये, आरोपी से वाहन मय दस्तावेज के जप्त कर मैकेनिकल परीक्षण करवाया गया। विवेचना के दौरान बस को हुई नुकसानी के कारण आरोपी के विरूद्ध धारा—427 भा.द.वि. का इजाफा किया गया तथा आरोपी को गिरफ्तार कर सम्पूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।

3— आरोपी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा—279, 337 (चार बार) के अंतर्गत अपराध विवरण तैयार कर पढ़कर सुनाए व समझाए जाने पर उसने जुर्म अस्वीकार किया एवं विचारण का दावा किया। आरोपी ने धारा—313 दं.प्र.सं. के अंतर्गत अभियुक्त कथन में स्वयं को झूठा फॅसाया जाना प्रकट किया है। आरोपी ने प्रतिरक्षा में बचाव साक्ष्य पेश नहीं किया।

## 4- प्रकरण के निराकरण हेत् निम्नलिखित विचारणीय बिन्द् यह है कि:-

- 1. क्या आरोपी ने दिनांक—04.11.2012 को 03:45 बजे आरक्षी केन्द्र बैहर अंतर्गत तन्नौर नदी के पास लोकमार्ग पर वाहन क्रमांक—सी.जी—04/जे. सी—6537 को उतावलेपन या उपेक्षा से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न कारित किया ?
- 2. क्या आरोपी ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर उक्त वाहन को उतावलेपन या उपेक्षा से चलाकर आहतगण पुरूषोत्तम, सोमवती, जदूलाल एवं दिनेश कुमार को साधारण उपहति कारित की ?

## विचारणीय बिन्दुओं पर सकारण निष्कर्ष :-

5— पुरूषोत्तम (अ.सा.1), सोमवती (अ.सा.4), दिनेश (अ.सा.5) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि वे आरोपी को नहीं जानते। घटना के समय जब वे बस में बैठकर मुक्की से बैहर आ रहे थे, तो उनकी बस तन्नौर नदी के पास खड़ी थी, तो पीछे से आकर ट्रक वाले ने बस को टक्कर मार दी थी, जिससे उन्हें चोट आई थी।

उक्त साक्षीगण को पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षीगण ने इस सुझाव से इंकार किया है कि घटना के समय आरोपी के द्वारा वाहन ट्रक को तेजी व लापरवाही से चलाते हुए बस में टक्कर मार दी थी। साक्षीगण ने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि यदि बस का चालक रोड पर सही तरीके से रोकता तो उक्त घटना घटित नहीं होती। साक्षी दिनेश (अ.सा.5) ने प्रतिपरीक्षण में यह भी स्वीकार किया कि उसने ट्रक द्वारा टक्कर मारते हुए नहीं देखा। इस प्रकार साक्षीगण ने अपनी साक्ष्य में आरोपी की पहचान कथित ट्रक के चालक के रूप में नहीं की है और न ही उक्त वाहन के चालक के द्वारा कथित उतावलेपन या उपेक्षा से वाहन चलाए जाने का समर्थन किया है।

- 6— अन्य साक्षी जग्गूलाल (अ.सा.2) ने अपनी साक्ष्य में बताया है कि घटना के समय वह भी बस में बैठा हुआ था तो एक ट्रक ने पीछे से आकर बस को टक्कर मार दी, जिससे उसे चोट लग गई थी। साक्षी का यह भी कथन है कि उक्त ट्रक को कौन चला रहा था, उसने नहीं देखा था। साक्षी ने दुर्घटना में ट्रक के चालक की गलती होना बताया है, किन्तु प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया कि दुर्घटना बस के चालक की गलती से हुई थी और ट्रक चालक की उसमें कोई गलती नहीं थी। इस प्रकार साक्षी ने ना तो आरोपी की पहचान कथित ट्रक के चालक के रूप में की है और न ही उक्त वाहन के चालक द्वारा तेजी या लापरवाही से वाहन चालन करने के कारण अथवा उसकी गलती से दुर्घटना होने का समर्थन किया है।
- 7— अनुसंधान कर्ता अधिकारी कपूरचंद बिसेन (अ.सा.३) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि वह दिनांक—04.11.12 को पुलिस थाना बैहर में प्रधान आरक्षक के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को प्रदर्श पी—1 बैहर अस्पताल की तहरीर पर उक्त तहरीर को रोजनामाचा सान्हा क्रमांक—185, दिनांक—04.11.12 लेख किया था और उक्त अस्पताल तहरीर की जांच हेतु शासकीय अस्पताल बैहर गया था। रोजनामाचा सान्हा की सत्यापित प्रतिलिपि प्रदर्श पी—2 है, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त अपराध की तहरीर की जांच उपरान्त आरोपी राजू पंचतिलक के विरुद्ध अपराध सिद्ध पाए जाने से प्रथम सूचना रिपोर्ट क्रमांक—159, धारा—279, 337 भा.द.वि. के तहत लेख किया था, जो प्रदर्श पी—3 है, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त अपराध क्रमांक

की डायरी विवेचना हेतु प्राप्त होने पर दिनांक—05.11.12 को आहत पुरूषोत्तम की निशानदेही पर घटनास्थल का नजरीनक्शा प्रदर्श पी—4 तैयार किया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त दिनांक को ही आहत पुरूषोत्तम, साक्षी जदूलाल, दिनेश, सोमवतीबाई, जितेन्द्र के कथन उनके बताए अनुसार लेख किया था। उक्त दिनांक को ही आरोपी राजू पंचतिलक से साक्षियों के समक्ष जप्तीपत्रक प्रदर्श पी—5 अनुसार ट्रक कमांक—सी.जी—04 जे.सी—6537 जिसमें गिट्टी भरी थी, मय दस्तावेज के जप्त किया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त दिनांक को ही आरोपी को गिरफ्तार कर साक्षियों के समक्ष गिरफ्तारी पत्रक प्रदर्श पी—6 तैयार किया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। दुर्घटना में बस को हुई क्षति बाबत् साक्षियों के समक्ष नुकसानी पंचनामा प्रदर्श पी—7 तैयार किया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। जिसमें लगभग 50 से 60 हजार रूपये की नुकसानी होने की संभावना बताया था। जप्तशुदा वाहन का विधिवत् परीक्षण कराकर, परीक्षण रिपोर्ट चालान के साथ संलग्न किया था। तहरीर की जांच पर लिये गए जांच कथन भी चालान के साथ संलग्न किया हूं। अंतिम प्रतिवेदन में बस को हुई नुकसानी के कारण भा.द.वि. की धारा—427 बढ़ाई गई थी।

- 8— उक्त साक्षी का यह भी कथन है कि विवेचना के दौरान ही उसके द्वारा मोटरयान अधिनियम की धारा—133 के तहत विजय पटले को नोटिस देकर कि घटना दिनांक को आपका वाहन कौन सा ड्राईवर चला रहा था की जानकारी चाही गई थी, जिसकी कार्बन प्रति चालान के साथ संलग्न किया हूं। उक्त नोटिस के जवाब में विजय पटले ने दिनांक—04.11.12 को वाहन को ड्राईवर राजू पंचतिलक के द्वारा चलाया जाना बताया था, जिसका लिखित जवाब चालान के साथ संलग्न है। साक्षी ने मामलें में की गई अनुसंधान कार्यवाही को समर्थनकारी साक्ष्य के रूप में प्रमाणित किया है। साक्षी ने इस तथ्य की भी पुष्टि की है कि उसने कथित दुर्घटना कारित वाहन ट्रक के मालिक विजय पटले को नोटिस देकर आरोपी के द्वारा घटना के समय वाहन चलाए जाने की जानकारी प्राप्त की थी। यद्यपि उक्त नोटिस के प्रमाणित होने मात्र से अन्य संपुष्टिकारक साक्ष्य के अभाव में उक्त नोटिस का अधिक महत्व नहीं रह जाता है।
- 9— प्रकरण में स्वयं आहतगण पुरूषोत्तम (अ.सा.1), जग्गूलाल (अ.सा.2), सोमवती (अ.सा.4) एवं दिनेश (अ.सा.5) ने अपनी साक्ष्य में चक्षुदर्शी साक्षी होते हुए

आरोपी की पहचान स्पष्ट रूप से अपनी साक्ष्य में नहीं की है। किसी भी साक्षी के द्वारा घटना के समय कथित दुर्घटना कारित वाहन को चालन करते हुए आरोपी को देखा नहीं गया है। ऐसी दशा में प्रकरण में दुर्घटना होना तथा दुर्घटना में उक्त आहतगण को चोट कारित होना प्रमाणित होना मान भी लिया जाए तो भी यह तथ्य प्रमाणित नहीं है कि घटना के समय आरोपी के द्वारा दुर्घटना कारित वाहन चलाया जा रहा था। इस प्रकार आरोपी के विरुद्ध अभियोजन का मामला संदेहास्पद प्रकट होता है।

10— उपरोक्त संपूर्ण विवचना उपरांत यह निष्कर्ष निकलता है कि अभियोजन अपना मामला युक्ति—युक्त संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है कि घटना दिनांक व स्थान में आरोपी ने लोकमार्ग पर वाहन क्रमांक—सी.जी—04 / जे.सी—6537 को उतावलेपन या उपेक्षा से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न कारित कर, उक्त वाहन को उतावलेपन या उपेक्षा से चलाकर आहतगण पुरूषोत्तम, सोमवती, जदूलाल एवं दिनेश कुमार को साधारण उपहित कारित की। अतएव आरोपी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा—279, 337(चार बार) के अपराध के अंतर्गत दोषमुक्त कर स्वतंत्र किया जाता है।

11— आरोपी के जमानत मुचलके भार मुक्त किये जाते हैं।

12— प्रकरण में जप्तशुदा ट्रक क्रमांक—सी.जी—04/जे.सी—6537 मय दस्तावेज के सुपुर्ददार विजय कुमार पटले पिता भैयालाल पटले को सुपुर्दनामा पर प्रदान किया गया है, उक्त सुपुर्दनामा अपील अविध पश्चात उक्त सुपुर्ददार के पक्ष में निरस्त समझा जावे अथवा अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेश का पालन किया जावें।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व दिनांकित कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित।

(सिराज अली) न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर, जिला—बालाघाट

(सिराज अली) न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर, जिला–बालाघाट